न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./114/2022

चन्दनसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम हवीवपुर तहसील व जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1—अर्जुनसिंह ।
2—मंगलसिंह । पुत्रगण बाबूसिंह
3—वीरेन्द्रसिंह ।
4—कमलेश देवी ।
5—गौमादंवी । पुत्री बाबूसिंह
6—माया ।
7—सुनीता देवी ।
8—कप्तानसिंह पुत्र लालसिंह
9—लेखराजसिंह पुत्र लालसिंह
10—भगवानसिह ।
11—मुख्त्यारसिह ।पुत्रगण निक्कूसिंह
12—हरीसिंह ।
13—महेन्द्रसिंह पुत्र फूलसिंह
14—हरवेन्द्र सिंह पुत्र फूलसिह
15—उर्मिला पत्नी पूरनसिह
16—ज्योती पुत्र पूरनसिंह
17—नीलम पुत्री पूरनसिह

जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम हवीवपुर तहसील व जिला भरतपुर

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज. काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध श्री देवेन्द्रसिंह परमार, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ।

———

उपस्थितः—

1—श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,

2—श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक अप्रार्थी ,

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./114/2022
चन्दनसिह बनाम अर्जुनसिंह वगै0

निर्णय दिनांक 22.02.2023

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. वखिलाफ श्री देवेन्द्र सिंह परमार,पीठासीन अधिकारी, एस.डी.ओ. भरतपुर इस आश्य की पेश किया गया है, जो संक्षेप मे इस प्रकार है, कि एक दावा पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन है, दावा के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट भी विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है, प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 11 मुख्त्यारसिंह सेवा निवृत पटवारी है और उसके पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्रसिंह परमार से सीधे सम्बन्ध है। दिनांक 1.11.2022 को अप्रार्थी मुख्त्यारसिह एस.डी.ओ. भरतपुर के पीए दिनेश सैनी से बात कर रहा था, प्रार्थी ने बात चीत सुनने का प्रयास किया तो प्रार्थी ने सुना कि पीए साहब मुख्त्यारसिह से कह रहे थे कि तुम प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दो तुम्हारा काम हो जावेगा। अप्रार्थी0 ने दिनांक 2.11.2022 को प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिस पर नजदीकी तारीख पेशी दिनांक 9.11.2022 नियत फरमाई गई है। प्रार्थी को विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी मुख्त्यारसिह की पीए. साहब के माध्यम से प्रकरण साठ गांठ की जारही है पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह परमार, एस.डी.ओ. भरतपुर से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई, एस.डी.ओ.भरतपुर से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ.भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी पत्र क्रमांक/राजस्व/कोर्ट/2022/1423 दिनांक 12.12.2022 शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि प्रार्थना पत्र में अंकित कथन ही उसकी बहस शुमार की जावे तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 11 सेवा निवृत पटवारी है, पक्षकारान के मध्य दावा विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थी भी पक्षकार है पक्षकार को अपने केस की पैरवी करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये हैं वे गलत झुठे हैं। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र में गलत आरोप लगाये हैं। प्रार्थी प्रकरण का निस्तारा नहीं होने

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

देना चाहता है, इसलिये यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया है जिससे उसके झूठे कथनों की पुष्टी होती हो। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। एस.डी.ओ. भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया। प्रार्थी ने अपने आरोप के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नही किया है जिससे उसके आरोप की पुष्टी होती हो।

आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 437 :–

Rajasthan Tencancy Act 1995 Sec. 233 Transfer petition-No hurriedness shown by the presiding officer- Application of non-petitioners for appointing commisssioner dismissed by the Court- No proof produced in support of allegations & the allegations levelled are of common nature- No afficdavit of indeperndent witness produced - Application is filed with presumption & appreshension- Held' Transfer Petition is unfounded & liable to be rejected

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र मात्र आंशका के आधार पर पेश किया गया है, तथा एस.डी.ओ. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने की नियत के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–02–2023 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर